# Rajasthan State Pollution Control Board

Central Laboratory, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in


क्रमांक:एफ.11(594)/राप्रनिम/के.प्र./ दिनांक

## कार्यालय आदेश

राज्य मंडल द्वारा जल अधिनियम,1974 ,वायु अधिनियम,1981 ,परिसंकटमय एवम अन्य अपशिष्ट नियम,2016 ,जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम,2016 आदि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों/ परियोजना प्रस्तावकों /आवेदकों के सम्मति आवेदन /प्राधिकार पत्रों /शिकायत सत्यापन इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी में आया हैं कि जिन प्रकरणों में राज्य मंडल द्वारा जारी विश्लेषण रिपोर्ट में विश्लेषण परिणाम, मानकों से अधिक पाए जाते हैं, उन्ही प्रकरणों में उद्योगों/ परियोजना प्रस्तावकों /आवेदकों द्वारा कुछ ही समय पश्चात कतिपय निजी प्रयोगशालों द्वारा जारी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है एवं राज्य मंडल के कार्यालयों द्वारा इन्हें मान्य किया जाकर उनके आधार पर राज्य मंडल द्वारा सम्मति आवेदन /प्राधिकार पत्रों /शिकायत सत्यापन इत्यादि के निस्तारण /निर्णय की कार्यवाही कर दी जाती है जो की उचित नहीं है ।

**उक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य मंडल के शाखा प्रभारियों/ क्षेत्रीय अधिकारीयों/क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारियों को एतद द्वारा निर्देशित किया जाता हैं कि :-**

राज्य मंडल प्रयोगशालाओं द्वारा जारी विश्लेषण रिपोर्टों में विश्लेषण परिणाम मानकों से अधिक पाए जाने के आधार पर, राज्य मंडल द्वारा जिन इकाइयों के विरुध्द नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है / उन उद्योगों/ परियोजना प्रस्तावकों /आवेदकों के सम्मति आवेदन /प्राधिकार पत्रों /शिकायत सत्यापन इत्यादि के निस्तारण /निर्णय की अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य मंडल प्रयोगशालाओं द्वारा जारी विश्लेषण रिपोर्ट (नमूना एकत्रीकरण एवम विश्लेषण उपरान्त) ही मान्य होगी । उद्योगों/ परियोजना प्रस्तावकों /आवेदकों द्वारा प्रस्तुत निजी प्रयोगशालाओं (चाहे वह प्रयोगशाला MoEF&CC,NABL इत्यादि से मान्यता प्राप्त हो) की विश्लेषण रिपोर्ट मान्य नहीं होगी । शेष प्रयोजनों यथा सम्मति अनुपालना रिपोर्ट, फिसिबलिटी रिपोर्ट इत्यादि हेतु MoEF&CC से मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं की विश्लेषण रिपोर्ट पूर्ववत मान्य रहेगी ।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(शैलजा देवल)
सदस्य सचिव

क्रमांक:एफ.11(594)/राप्रनिम/के.प्र./ 3683 दिनांक 18/03/2020

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा. प्र. नि. मं.,जयपुर ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा. प्र. नि. मं.,जयपुर ।
3. मुख्य पर्यावरण अभियंता/ मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी / मुख्य लेखा अधिकारी, रा. प्र. नि. मं., जयपुर ।
4. सयुक्त निदेशक (पी. आर.), रा. प्र. नि. मं., जयपुर ।
5. शाखा प्रभारी,__ ______________,रा. प्र. नि. मं., जयपुर ।
6. शाखा प्रभारी(आई.टी.), रा. प्र. नि. मं., जयपुर:- राज्य मंडल की वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
7. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. मं., अलवर, जोधपुर,कोटा,उदयपुर, भिवाडी,बालोतरा, भरतपुर, भीलवाडा बीकानेर, चित्तोड़गढ़, जयपुर (उत्तर),जयपुर(दक्षिण),किशनगढ़, पाली, सीकर ।
8. समस्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी, रा. प्र. नि. मं., अलवर, जोधपुर,कोटा,उदयपुर, भिवाडी,बालोतरा, भरतपुर, भीलवाडा बीकानेर, चित्तोड़गढ़, जयपुर (उत्तर),जयपुर(दक्षिण),किशनगढ़, पाली, सीकर ।
9. मूल पत्रावली ।

सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner